

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2014/डी-2594

दिनांक:- 27/10/2014

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 166वीं बैठक दिनांक 21.10.2014 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | निर्णय |
|----------|----------------|---|--|
| 1. | 166.1 | भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 164वीं बैठक दिनांक 12.09.2014 एवं 165वीं बैठक दिनांक 22.09.2014 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा परिशिष्ट 'अ' एवं 'बी' पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। | भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 164वीं बैठक दिनांक 12.09.2014 एवं 165वीं बैठक दिनांक 22.09.2014 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा परिशिष्ट 'अ' एवं 'बी' पर संतोष व्यक्त किया गया। |
| 2 | 166.2 | पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 44, 45, 46, 47, स्कीम नम्बर 1, इन्कम टैक्स कॉलोनी, जगतपुरा रोड, मालवीय नगर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.68 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> |
| 3 | 166.3 | पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 322 से 324, सिद्धार्थ नगर-एच योजना, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर के प्रस्तावित | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- |

(Signature)

| | | | |
|---|-------|---|---|
| | | आवासीय अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.15 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> |
| 4 | 166.4 | भूखण्ड संख्या 5ए, सायपुरा संस्थानिक क्षेत्र, शिकारपुरा रोड़, सायपुरा, जयपुर के प्रस्तावित संस्थानिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रचलित भवन विनियम 2010 संशोधित दिनांक 07.12.2012 के बिन्दु संख्या 10.1.15 अनुसार "सभी संस्थानिक परिसरों में भूखण्ड के अग्रभाग में 6 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्री बनाई जाये, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो।" चूंकि वर्तमान में 48 चौड़ी सड़क मौके पर विद्यमान है। अतः अग्र की ओर 6.0 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्रीवाल बनवाई जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> |
| 5 | 166.5 | भूखण्ड संख्या एस-22 सेन्द्रल स्पाईन, | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत |

Ch

| | | | |
|---|-------|---|---|
| | | जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या एस-22, सैन्ट्रल स्पाईन, जगतपुरा, जयपुर पर स्वीकृत अतिरिक्त एफ.ए.आर. के एवज में मेसर्स रिजेन्सी बिल्डहोम एल.एल.पी. से क्रय किये गए LIG के कुल 16 फ्लैट में से 5 फ्लैट (202.85 व.मी.) एवं EWS के कुल 16 फ्लैट में से 7 फ्लैट (183.19 व.मी.) कुल 12 फ्लैट आरक्षित किये गये है, जिसका कुल क्षेत्रफल 386.04 व.मी. है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया तथा भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 144वीं बैठक दिनांक 03.09.2013 में लिये गये निर्णयों की पूर्ति होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। |
| 6 | 166.6 | खसरा नम्बर 143, 144, 145, 147, ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित स्कूल भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रचलित भवन विनियम 2010 संशोधित दिनांक 07.12.2012 के बिन्दु संख्या 10.1.15 अनुसार "सभी संस्थानिक परिसरों में भूखण्ड के अग्रभाग में 6 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्री बनाई जाये, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो।" चूंकि वर्तमान में 18 चौड़ी सड़क मौके पर विद्यमान है। अतः अग्र की ओर 6.0 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्रीवाल बनवाई जावे। 3. मौके पर विद्यमान अस्थाई निर्माण को हटवाये जाने के उपरान्त ही मानचित्र जारी किये जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> |
| 7 | 166.7 | भूखण्ड संख्या जी-1, मंगलम सिटी, कालवाड़ रोड़, जयपुर के प्रस्तावित अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम |

Am

10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।

2. संशोधित भवन मानचित्रों की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।
3. प्रकरण में पूर्व में मानचित्र दिनांक 21.10.2011 को अनुमोदित कर दिनांक 27.05.2013 को जारी किये गये थे, जिसमें 1.2 मीटर का प्रोजेक्शन एवं कवर्ड प्रोजेक्शन स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र दिनांक 27.08.2014 में 9.14 मीटर के सेटबैक पर 1.5 मीटर का प्रोजेक्शन एवं 15.24 के सेटबैक पर 1.8 मीटर का प्रोजेक्शन प्रस्तावित किया गया है तथा कुछ जगह पर प्रोजेक्शन को भवन के अन्दर/कमरों के अन्दर शामिल किया हुआ है। तदानुरूप ही मौके पर निर्माण किया हुआ है। जयपुर भवन विनियम 2010 संशोधित 2012 के बिन्दु संख्या 9.12 (ख) के अनुसार 6 मीटर से अधिक 12 मीटर तक के सेटबैक में बालकनी 1.5 मीटर तक तथा 12 मीटर से अधिक सेटबैक में 1.8 मीटर दी जा सकती है। जयपुर भवन विनियम 2010 संशोधित 2013 के विनियम 9.12 (ग) के अनुसार यदि भवन में किसी तरफ का सेटबैक 6.0 मीटर से अधिक हो तो उस तरफ बालकनी क्षेत्र को अधिकतम 1.2 मीटर चौड़ाई में भवन के अन्दर/कमरों के अन्दर शामिल किया जा सकता है। अतः भवन विनियम के प्रावधानों के अनुक्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक द्वारा कुछ जगह पर भवन विनियम 2010 संशोधित 2012 के बिन्दु संख्या 9.12 (ख) में अनुज्ञेय प्रोजेक्शन से भी अधिक प्रोजेक्शन का निर्माण मौके किया हुआ है, जिसे हटवाया जावे।
5. पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में 113 मैकेनिकल पार्किंग स्वीकृत की गई थी। वर्तमान में आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों में मैकेनिकल कार पार्किंग हटाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

Om

| | | | |
|---|-------|---|---|
| | | | <p>6. पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में 20809.20 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र में (23440.23 व.मी.) प्रस्तावित किया गया है तथा तदानुरूप मौके पर निर्माण कर दिया गया है। अतः बिना अनुमति निर्माण 2631.03 व.मी. क्षेत्रफल की नियमानुसार शास्ति ली जावें।</p> <p>7. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें।</p> <p>8. प्रकरण में पूर्व में 2.24 एफ.ए.आर. स्वीकृत किया गया था। आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्रों में 2.249 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः 2.24 एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें।</p> <p>9. प्रकरण में जविप्रा द्वारा दिनांक 27.03.2008 को पट्टा जारी किया गया था। आवेदक द्वारा पूर्व में भी EWS/LIG का प्रावधान नहीं किया गया था तथा वर्तमान में भी आवेदक द्वारा EWS/LIG का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 3 (77)नविवि/3/2010 पार्ट-I दिनांक 03.08.2012 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन योजनाओं की 90बी दिनांक 23.12.2009 से पूर्व में की जा चुकी है, उन पर अफोडेबल टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानानुसार EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> |
| 8 | 166.8 | भूखण्ड संख्या जी.एच. 3, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड़, जयपुर के टी.डी.आर. समायोजन के संबंध में। | <p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत अभी तक विकासकर्ता को टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है एवं टी.डी.आर. सर्टिफिकेट हेतु प्रस्तुत पत्रावली में कमियाँ होने के संदर्भ में विकासकर्ता को दिनांक 24.09.2014 को पत्र जारी किया गया है, जिसकी पूर्ति अभी तक विकासकर्ता द्वारा नहीं की गई है। अतः भूखण्ड संख्या जी.एच. 3, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड़, जयपुर के लिए जारी मांग पत्र अनुसार राशि जमा करवाये जाने के लिए</p> |


Ch

| | | | |
|---|--------|--|---|
| | | | विकासकर्ता को सूचित किया जावे। |
| आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। | | | |
| 9 | 166.9 | भूखण्ड संख्या एस-4, फतेहसिंह की धर्मशाला, स्टेशन रोड़, जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि विकासकर्ता द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण के समक्ष वाद संख्या 277/2014 दायर की गई है, जिसका अन्तिम रूप से निर्णय होने के पश्चात् ही प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा। |
| 10 | 166.10 | खसरा नम्बर 165, 432/431, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील-सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित कम्युनिटी सेन्टर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें। 3. प्रचलित भवन विनियम 2010 संशोधित दिनांक 07.12.2012 के बिन्दु संख्या 10.1.15 अनुसार "सभी संस्थानिक परिसरों में भूखण्ड के अग्रभाग में 6 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्री बनाई जाये, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो।" अतः अग्र की ओर 6.0 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्रीवाल बनवाई जावे। 4. जविप्रा द्वारा जारी स्थल मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्ड के उत्तर-पूर्व दिशा में 100'-00" चौड़ी सेक्टर सड़क प्रस्तावित है, किन्तु वर्तमान में मौके पर उक्त सड़क 50'-00" चौड़ी सड़क उपलब्ध है। मौके पर भूखण्ड के दक्षिण-पूर्व दिशा में 60'-00" चौड़ी सड़क विद्यमान है, किन्तु जविप्रा द्वारा जारी स्थल मानचित्र में उक्त सड़क अंकित नहीं है। अतः संबंधित जोन द्वारा मौका स्थिति अनुसार साईट प्लान में संशोधन किया जावे। 5. आवेदक द्वारा 25.35 मीटर ऊँचाई प्रस्तावित की गई है। |

3

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>मौके पर विद्यमान 60'-00" चौड़ी सड़क को दृष्टिगत रखते हुए प्रावधानानुसार 25.35 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की जा सकती है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>5. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. मानक 1.33 + 357.12 वर्गमीटर (सड़क में समर्पित) = 4138.50 वर्गमीटर एवं अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.0 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 1.582 एफ.ए.आर. (4498.79 वर्गमीटर) प्रस्तावित किया गया है। अतः मानक एफ.ए.आर. व सड़क हेतु समर्पित भूमि से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p> |
|--|--|--|---|

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


21/11/14

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 166वीं बैठक दिनांक 21.10.2014 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|-------------|
| 1. श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 4. श्री एम.एस. रत्नू, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 5. श्री नीरज तिवाड़ी, अतिरिक्त मुख्य नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव, |

विशेष आमंत्रित :-

6. श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन-09, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन-15, जविप्रा, जयपुर।
10. सुश्री प्रीति शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-04, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।


27/10/14

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक जविप्रा अति.मु.न.नि./बीपीसी/2014/डी-2594

दिनांक:- 27/10/2014

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
5. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/(एलपीसी)/भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन-08, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


27/10/14

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)